8.6.15 अरल सेवा केन्द्र काशीर । वादी व प्रतिवादी हाजिर। सुना गया। पक्षकारान को मजमे आम में समझाईश की गई

रामलाल

भागीरथ

हंसराज

राजीनामा के अनुसार ग्राम श्रीरामपुरा की जमाबंदी सं० 2068-71 के खाता सं. नया पुराना 179-158 खसरा नम्बर 348 रकबा 0.04.00 ता.ज.2 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है।

खाता सं. नया पुराना 156-87 खसरा नं. 176 रकबा 0.10.00 तथा खसरा नं. 175 रकबा 0.01.00 हीरा हंसराज पिता भँवरलाल हि०1/6, भागीरथ पुत्र हंसराज हि०1/6, रामलाल पिता जगन्नाथ हि०1/6, जगदीश, धीसालाल, गोपाललाल पिता रामचन्द्र के खाते में दर्ज है, इन दोनो खसरा नम्बरान तथा खसरा नम्बर 348 का सीमाज्ञान पटवारी हल्का काशीर द्वारा किया जायेगा। वादी का वाद स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है। विरुद्ध प्रतिवादी खिलाफ प्रतिवादी जारी की जावे कि प्रतिवादी स्वयं उनके नौकर चाकर मित्र एजेन्ट परिवार के सदस्य आदि के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी के हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, न ही कब्जा करने की कोशिश करे, ना ही आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करे।

आदेश आज अरल सेवा केन्द्र काशीर में मजमे आम में सुनाया गया।

Prakashan AW
सदस्य
न्याय अदालत
सरवाड

प्रदीप
सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड

सदस्य
न्याय अदालत
सरवाड

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2019.12.24 16:09:39 IST
Reason: SelfAttested